न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़
R.F Appeal No.-01/2022-23

कल्पना त्रिवेदी
बनाम
बीना चटर्जी

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह अपीलवाद, अपीलकर्त्ता कल्पना त्रिवेदी, पति–प्रभास कुमार त्रिवेदी, मोहल्ला–राजापाड़ा, थाना–पाकुड़ (नगर), जिला–पाकुड़ के द्वारा विद्व भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय के लगान धार्य वाद सं0–34/2021–22 में दिनांक–16.04.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध बीना चटर्जी, पति–स्व0 रंजीत कुमार चटर्जी, सा0–कलपाड़ा, पाकुड़, थाना–पाकुड़ (नगर), जिला–पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि पाकुड़ अंचल के मौजा–पाकुड़ नं0–128 के जमाबंदी सं0–589/1 के दाग सं0–1952 अन्तर्गत रकवा 01–06–08 धुर जमीन का लगान निर्धारण अपने नाम से करने हेतु बीना चटर्जी (इस वाद की उत्तरवादी) के द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरान्त दिनांक–16.04.2022 को पारित अंतरिम आदेश द्वारा भूमि का लगान बीना चटर्जी के नाम स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, पाकुड़ से चार प्रतियों में प्रपत्र–एम0 की मांग की गई। अंचल अधिकारी, पाकुड़ से प्रपत्र–एम0 प्राप्त होने पर दिनांक–25.04.2022 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत भूमि का लगान 15/– (पन्द्रह) रूपये अस्थायी रूप से बीना चटर्जी के नाम से स्वीकृत किया गया एवं प्रपत्र–एम0 में हस्ताक्षर किया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–16.04.2023 के विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि विगत सर्वे खतियान में अनुकुल चन्द्र चटर्जी के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता उक्त अनुकुल चन्द्र चटर्जी की वंशज एवं वैद्य उत्तराधिकारी है। उनके द्वारा अनुकुल चन्द्र चटर्जी की वंशावली निम्नवत

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	16.04.2022 को पारित आदेश स्वतः निरस्त हो जाता है। यह वाद इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारों को Fresh notice निर्गत कर सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए 60 दिनों के अन्दर तर्कसंगत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें। लेखापित एवं संशोधित। उ पा यु क्त, पाकुड़। उ पा यु क्त, पाकुड़।	

Digitally signed by MRITYUNJAY BARANWAL KUMAR
Date: 2024.07.19 11:17:16 +05:30
Location: 192.168.45.62

Scanned with OKEN Scanner